यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्राचार्य**,** राजकीय महाविद्यालय**,** जखोली**,** रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्राचार्य**,** राजकीय महाविद्यालय**,** जखोली**,** रुद्रप्रयाग के माह 04.2010 से 11.2017 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री राजकुमार , लेखापरीक्षक द्वारा श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 23.12.2017 से 28.12.2017 तक सम्पादित की गयी।

<u>भाग</u>**- I**

1). परिचयात्मकः यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

2). **(i).** इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः निदेशालय से महाविद्यालय की दूरी- 370 किमी., निकटतम स्टेशन- रुद्रप्रयाग, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित- NH-109 से 29 किमी. दरी, निकटम रेलवे स्टेशन- 200 किमी., विकास खण्ड का नाम- जखोली, जिला का नाम- रुद्रप्रयाग, जिला मुख्यालय से दूरी- 40 किमी.,

महाविद्यालय के अंतर्गत आने वाले गाँव- देवल, जखोली, लमवाड़, इन्द्रनगर, मरवेत, खरियाल, कोटी, आदि गाँव आते है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	भक अवशेष		स्थापना **(01,03,06)**		आधिक्य (+)	बचत (-)	गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	स्थापना	आवंटन	व्यय			आवंटन	व्यय		
	2014-15	शून्य	शून्य	78.90	62.21	-	16.69	1.77	1.56	-	0.21
	2015-16	शून्य	शून्य	67.95	63.50	-	4.45	5.52	2.03	-	3.49
	2016-17	शून्य	शून्य	84.80	81.09	-	3.71	10.19	7.87	-	2.32
	2017-18 (11/17)	शून्य	शून्य	79.80	53.04	-	26.76	2.87	0.09	-	2.78

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

-शून्य-

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना (अनुदान संख्या 11 के अंतर्गत, निदेशक उच्च शिक्षा निदेशक, हल्द्वानी) द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखंड, देहरादून

b). उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी

c). उच्च शिक्षा निदेशक, हल्द्वानी

d). प्राचार्य, रा. महाविध्यालय, जखोली, रुद्रप्रयाग

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 04.2010 से 11.2017 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय प्राचार्य**,** राजकीय महाविद्यालय**,** जखोली**,** रुद्रप्रयाग के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्राचार्य**,** राजकीय महाविद्यालय**,** जखोली**,** रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2012, 03/2014, 03/2016 एवं 09/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- विवादस्पद तथ्यों के कारण लागत रु. 318.97 लाख के निर्मित भवन अहस्तान्तरित तथा थर्ड पार्टी की जांच नियमानुकूल नहीं पाया जाना।

कार्यालय प्राचार्या राजकीय महाविद्यालय जखोली की वृहद निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि शासनादेश सं. 99/XXIV(7)/2007 दिनांक 30 अक्टूबर 2007 द्वारा रु. 318.97 लाख की लागत से महाविद्यालय के Academic तथा Administrative Block की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसमें एकाडेमिक ब्लॉक का कार्य पूर्ण, परंतु Administrative Block में कमियाँ के कारण एकाडेमिक ब्लॉक लेखापरीक्षा तिथि तक अहस्तान्तरित पाया गया। दिनांक 09 सितम्बर 2016 की निर्माण एजेंसी द्वारा गठित थर्ड पार्टी रिपोर्ट में महाविद्यालय के सदस्यों की सहभागिता पायी गयी जिसमें निर्मित भवन के लगभग समस्त कार्यों को संतोषजनक तथा गुणवत्तायुक्त बताया गया, जबकि महाविद्यालय के पत्रांक 343/भवन निर्माण/2016-17 दिनांक 19.11.2016 में भवन में कमियाँ के कारण हस्तान्तरण की कार्यवाही पूरी नहीं बतायी गयी। इस संबंध में उप निदेशक शिविर कार्यालय के पत्रांक शि. का. (उ.शि.)/712/जांच/2009-10 दिनांक 04 नवम्बर 2009 द्वारा नवनिर्मित भवन घटिया शिकायती के संबंध में इस आशय की पुष्टि महाविद्यालय के पत्रांक 41 भवन निर्माण/2009-10 दिनांक 10.09.2009 में की गयी कि नवनिर्मित शैक्षणिक भवन के कक्षों पर जगह-जगह दरारें पड़ी हुई है तथा कुछ जगह बरामदे की छत से सीमेंट/प्लास्टर निकला हुआ है, ऐसी स्थिति में भवन के निर्माण सामग्री एवं निर्माण कार्य पर संदेह उत्पन्न होता है। आगे MOU में इस बात का उल्लेख पाया गया कि ग्राहक अथवा उसके द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत निर्माण कार्य की गुणवत्ता के लिए निरीक्षण प्राधिकारी सुनिश्चित करेगा।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि थर्ड पार्टी का गठन MOU के अनुरूप न होने के संबंध में प्रकरणों से विभाग के उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जायेगा तथा मरम्मत की कार्यवाही निर्माण एजेंसी से अपेक्षित है।

उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि थर्ड पार्टी के चयन में निर्माण एजेंसी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया से ग्राहक विभाग, अनभिज्ञ होने के बावजूद भी बैठक में सहभागिता की तथा संतोषजनक एवं गुणवत्तायुक्त पर सहमति प्रदान करने के बाद पुनः कमियों को प्रकाश में लाकर हस्तांन्तरित प्रतीक्षित बताया गया तथा वर्ष 2009 में उजागर हुयी कमियों के संबंध में मरम्मत की कार्यवाही निर्माण एजेंसी से अपेक्षित बतायी गयी। इस प्रकार कार्य लागत से थर्ड पार्टी पर की गये व्यय का निष्फल होना पाया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-**2**- कॉशन मनी पंजिका का रखरखाव निरीक्षण के अनुरूप नहीं पाया जाना तथा रु. 56210.00 लाख का भिन्न प्रयोजन नहीं पाया जाना।

शासनादेश सं. 15125 दिनांक, 10.07.86 में की गयी व्यवस्थानुसार यदि किन्ही कारणों से किसी छात्र कोष में बचत हो जाती है और यह बचत 03 वर्ष तक बनी रहती है, तो उस कोष की समिति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यों में व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है। जिस पर कॉलेज की प्रबन्ध समिति के अनुमोदन उपरांत शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

उक्त प्रभावी शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय राजकीय महाविद्यालय, जखोली (रुद्रप्रयाग) की अभिलेखों की जांच में पाया गया कि रखरखाव किये गये कॉशन मनी खाता संख्या 11803251316 (भारतीय स्टेट बैंक, जखोली) के अंतर्गत दिनांक 15.09.2017 तथा 18.08.2017 को क्रमशः रु. 46210.00 तथा रु. 10000.00 की राशि का आहरण कर भिन्न प्रयोजन हेतु अन्य छात्र निधि में स्थानान्तरित कर दिया गया। आगे जांच में पाया गया कि महाविद्यालय के पास छात्रों को निर्धारित समय के बाद लौटायी गयी धनराशि का विवरण अनुपलब्ध था। वह राशि जो छात्रों को नहीं वापस की गयी अर्थात बचत राशि का आवधिक विवरण का रखरखाव नहीं किया जाना पाया गया। इस संबंध में महाविद्यालय की आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी अभिलेखों की रखरखाव की दयनीय स्थिति पर टिप्पणी किया जाना पाया गया।

इस ओर इंगित किये जाने पर महाविद्यालय द्वारा भविष्य में अनुपालन करने की बात कही गयी तथा स्पष्ट किया गया कि लौटायी जाने वाली राशि हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, जिस कारण धनराशियाँ खाते में अप्रयुक्त पड़ी हुई है।

उत्तर मान्य नहीं है, चूंकि संकलित कॉशन मनी शुल्क छात्रों को वापस की जानी थी। अतः अभिलेखों में समस्त अपेक्षित विवरण का पारदर्शी रखरखाव तथा आहरण के पूर्व नियम संगत उच्चाधिकारी से अनुमति प्राप्त की जानी थी जो लेखापरीक्षा में नहीं पाया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर **-3-**. शासनादेश का उल्लंघन करते हुये छात्रनिधि खातो से रु **8,00,533/-** का अनयमित व्यय किया जाना।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10 जुलाई 1986 के अनुसार राजकीय महाविद्यालय मे छात्रों से ली जाने वाली विभिन्न छात्रनिधियों संबन्धित शुल्क के रखरखाव एवं उपयोग संबन्धित नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए है जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत है:-

1.छात्र कोषो के लिए परामर्शदात्री समिति बनाई जाएगी जिसमे छात्रों का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत होगा। यह समिति संबन्धित कोष के लिए प्राप्त धनराशि के व्यय हेतु प्राचार्य को परामर्श देगी, जिसके अनुसार छात्र कोष का उपयोग किया जाएगा।

2. छात्र कोष से विकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नही लिया जाएगा और यह राशि उसी मद पर व्यय की जाएगी जिसके लिए वसूल की गयी है।

3. यदि किन्ही कारणो से किसी छात्र कोष मे बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बची रहती है तो उस कोष की समिति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबंध समिति के अनुपोदरांत शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

कार्यालय प्राचार्य**,** राजकीय महाविद्यालय**,** जखोली**,** रुद्रप्रयाग के छात्रनिधियों संबन्धित अभिलेखो की जांच के उपरान्त पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रनिधियों का संचालन किया गया तथा सभी छात्रनिधियों हेतु पृथक-पृथक बैंक खाते खोले गए। छात्रनिधियों हेतु कुल 15 बैंक खाते खोले गए है, जिसकी जांच के उपरान्त यह पाया गया महाविद्यालय द्वारा समय समय पर विगत वर्षो के दौरान कुल रु 8,00,533/- धनराशि का आहरण प्रयोजन के विपरीत किया गया। उक्त धनराशि से मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यो, अग्रिमों, उपकरण क्रय हेतु, यात्रा व्यय, बैंक खाता खुलवाने हेतु, मानदेय भुगतान एवं अन्य व्यय किए गए थे जो शासनादेश के अनुसार अनुमान्य नही थे। उक्त छात्रनिधियों के पृथक-पृथक खाते होने के बावजूद भी धनराशियों का अंतरण एक निधि से दूसरी निधि मे किया गया तथा विविध छात्रनिधि से संविदा प्रवक्तायों, उपनल कर्मचारियो को वेतन आदि का भुगतान समय समय पर किया गया। संबन्धित छात्रनिधियों से निकली गयी धनराशि का समायोजन नही किया गया और न ही छात्रनिधियों से किए गए व्यय के संबन्धित साक्ष्य लेखापरीक्षा मे उपलब्ध कराये गए।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर मे बताया है कि भविष्य मे अभिलेखो का रखरखाव लेखापरीक्षा के अनुरूप किया जाएगा तथा भविष्य के लिए नोट किया गया। विविध छात्रनिधि से किए गए व्यय के संबंध मे इकाई ने बताया कि संबन्धित छात्र निधि उसी प्रयोजन के लिए है, जिस कारण उक्त माहों मे व्यय किया जाता है।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योकि छात्रनिधियो की धनराशि का उपयोग छात्र कल्याणकारी कार्यो हेतु किया जाना अनिवार्य था तथा शासनादेश का उल्लंघन करते हुये संबन्धित व्यय प्रयोजनों के विपरीत किया गया था अर्थात महाविद्यालय द्वारा छात्रनिधियों कि धनराशि का मनमाने ढंग से अनियित व्यय किया गया।

अतः छात्रनिधि खातो से धनराशि रु 8**,00,533/-** का अनियमित व्यय किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-**III**</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-**II** 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-**II** 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**	**TAN**
----------------शून्य--------------				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
-------------शून्य---------				

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, जखोली, रुद्रप्रयाग तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: 02/2004 से 03/2010 तक

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
डा0 कु॰ माधुरी	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय जखोली, रुद्रप्रयाग	29.01.2004 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, जखोली, रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.